झारखण्ड सिल्क, टेक्सटाइल एण्ड हैण्डीक्राफ्ट डेवेलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

(झारक्राफ्ट)

प्रथम तल्ला उद्योग भवन, रातु रोड, राँची

CIN: U17122JH2006SGC012606

पत्रांक–555 राँची दिनांक–01/06/2022

बुनकरों के लिए सूचना

प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत बुनकर समितियों/समूहों के लिए कुशलता उन्नयन एवं प्रशिक्षण, लूम एवं सहायक साज–सज्जा एवं बुनकर वर्कशेड के निर्माण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

उक्त के आलोक में समितियों/समूहों के द्वारा मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय में अपना आवेदन पत्र आवश्यक कागजात के साथ दिनांक–30.06.2022 तक जमा कर सकते है।

नियम तथा शर्तें झारक्राफ्ट के वेबसाईट www.jharcraft.in पर देखा जा सकता है।

ह०/–
प्रबंध निदेशक
झारक्राफ्ट, राँची

ज्ञापांक–555 दिनांक–01/06/2022

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमती अनुबाला कुजूर, कार्यपालक सहायक, झारक्राफ्ट मुख्यालय, राँची को निदेश है कि वे मुख्यालय में इससे संबंधित जमा किये गये आवेदनों को एकत्रित कर वरीय सहायक महाप्रबंधक (हस्तकरघा एवं उत्पादन) को सूचित करेंगी।

2. झारक्राफ्ट के सभी क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी को निदेश है कि वे क्षेत्रीय कार्यालयों में इससे संबंधित जमा किये गये आवेदनों को एकत्रित कर वरीय सहायक महाप्रबंधक (हस्तकरघा एवं उत्पादन) को साप्ताहकि रूप से सूचित करेंगे।

30/5/22
प्रबंध निदेशक
झारक्राफ्ट, राँची

नियम एवं शर्ते (बुनकर लूम एवं सहायक साज–सज्जा के लिए):–

1. बुनकरों के लिए नये लूम एवं सहायक साज–सज्जा को क्रय किया जायेगा। प्रत्येक समूह पर औसतन रू० 2.00 लाख व्यय अनुमानित है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी समूह को 10% की दर से अंशदान के रूप में रू० 20,000/– (बीस हजार रूपये) झारक्राफ्ट, मुख्यालय, राँची को DD/Check के माध्यम से देय करना होगा।
2. जिन समितियों/समूहों को पूर्व में झारक्राफ्ट या किसी अन्य संस्था द्वारा लूम एवं सहायक साज–सज्जा दिया जा चुका है, वैसे समितियों/समूहों को प्राथमिकता नहीं दी जायेगी।
3. बुनकर लूम एवं सहायक साज–सज्जा हेतु चयनित समितियों/समूहों को Check List के अनुकूल आवेदन जमा करना होगा, जिसे संबंधित कलस्टर प्रबंधक/पर्यवेक्षक सत्यापित कर मुख्यालय को भेजेगें। कलस्टर प्रबंधक/पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापित आवेदन ही मान्य होगा।
4. जो समूह/समिति चयन के उपरांत एक माह के अन्दर अंशदान की राशि जमा नहीं करते है, वैसे समूह/समितियों का चयन स्वतः अमान्य माना जाएगा।

Check List:-

(क) समितियों/समूहों का आवेदन पत्र जिसपर समितियों/समूहों के वर्त्तमान अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर अनिवार्य होगें।

(ख) समितियों/समूहों के अध्यक्ष द्वारा स्व–घोषणा पत्र हस्ताक्षार्थ।

(ग) बुनकर लूम एवं सहायक साज–सज्जा के लिए संबंधित समितियों/समूहों को रेजुलेसिन की प्रति का होना अनिवार्य है।

(नोटः– समितियों/समूहों का चयन नियम एवं शर्त्तें के अनुरूप प्राप्त आवेदन के आधार पर किया जायेगा।)

30/05/22

महाप्रबंधक (प्रशासन)
झारक्राफ्ट, राँची

नियम एवं शर्तें (कुशलता उन्नयन एवं प्रशिक्षण के लिए):–

1. बुनकर समितियों / समूहों को 20–20 के समूह में कुशलता उन्नयन एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र दो माह का होगा।
2. जिन समितियों / समूहों को पूर्व में झारक्राफ्ट या किसी अन्य संस्था के द्वारा कुशलता उन्नयन एवं प्रशिक्षण दिया जा चुका है, वैसे समितियों / समूहों को प्राथमिकता नहीं दी जायेगी।
3. सभी वरीय कलस्टर प्रबंधक / कलस्टर विकास पदाधिकारी / वरीय परियोजना प्रबंधक / पर्यवेक्षक को प्रशिक्षण के दौरान समिति / समूहों का समूहिक फोटो बैनर के साथ एवं विडियो उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. कुशलता उन्नयन एवं प्रशिक्षण हेतु चयनित समितियों / समूहों का नियम एवं शर्तों के अनुकूल आवेदन जमा करना होगा, जिसे संबंधित कलस्टर प्रबंधक / पर्यवेक्षक सत्यापित कर मुख्यालय को भेजेंगे। कलस्टर प्रबंधक / पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापित आवेदन ही मान्य होगा।
5. समितियों / समूहों के प्रत्येक लाभुकों का विवरणी एवं स्वघोषणा पत्र दिये गये प्रारूप में उपलब्ध कराना होगा।

(नोटः– समितियों / समूहों का चयन नियम एवं शर्तें के अनुरूप प्राप्त आवेदन के आधार पर किया जायेगा।)

30/05/22

महाप्रबंधक (प्रशासन)
झारक्राफ्ट, राँची

नियम एवं शर्ते (बुनकर कर्मशाला के लिए):–

1. इस योजना अन्तर्गत बुनकर कर्मशाला निर्माण पर 7.00 लाख रूपये का व्यय होगा। प्रत्येक बुनकर कर्मशाला में 20–25 बुनकर कार्य करेंगे। भवनों का निर्माण सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर PWD Code के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।
2. जिन समितियों / समूहों को पूर्व में झारक्राफ्ट या किसी अन्य संस्था द्वारा बुनकर कर्मशाला दिया जा चुका है वैसे समितियों / समूहों को प्राथमिकता नहीं दी जायेगी।
3. बुनकर वर्कशेड निर्माण हेतु चयनित समितियों / समूहों को Check List के अनुकूल आवेदन जमा करना होगा, जिसे संबंधित कलस्टर प्रबंधक / पर्यवेक्षक सत्यापित कर मुख्यालय को भेजेगें। कलस्टर प्रबंधक / पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापित आवेदन ही मान्य होगा।

Check List:-

(क) समितियों / समूहों का आवेदन पत्र जिसपर समितियों / समूहों के वर्त्तमान अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर अनिवार्य होगें।

(ख) समितियों / समूहों के अध्यक्ष द्वारा स्व–घोषणा पत्र हस्ताक्षार्थ।

(ग) दानपत्र / राजिस्ट्री की मूलप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।

(घ) बुनकर कर्मशाला निर्माण से संबंधित रेजुलेसिन की प्रति समितियों / समूहों का होना अनिवार्य है।

(ङ) समितियों / समूहों का अंकेक्षण प्रमाण पत्र 2 वर्षों का (2017 के बाद से)।

(नोटः– समितियों / समूहों का चयन नियम एवं शर्त्तें के अनुरूप प्राप्त आवेदन के आधार पर किया जायेगा।)

30/05/22

महाप्रबंधक (प्रशासन)
झारक्राफ्ट, राँची

Details / Particulars of Applicant for WEAVING training of Handloom Weaver Under PWCS Scheme

Photo

1. **Name of Trainee :**
   (As per Aadhaar)
2. **Name of Father :**
3. **Name of Mother :**
4. **Name of Husband :**
5. **Address :**
6. **Date of Birth / Age :**
7. **Aadhaar Number :**
8. **Contact No. (Mobile) :**
9. **Caste(SC/ST/OBC/GEN) :**
   (Attach Certificate)
10. **Gender (Male/Female/Other) :**
11. **Marital Status (Single/ Married/Divorced/ Separated) :**
12. **Educational Qualification :**
13. **Total Family Members :**
14. **Family Annual Income :**
15. **Alternate Contact No. :**
16. **Weaver ID/ Pehchan Card No. :**
    (If available any)
17. **Bank Details :**

Bank Name	Branch Name	Account Number	IFSC Code

I declared that all the above information given by me is correct to the best of my knowledge.

Date:

Place: **Signature**